

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

**PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SAURKHAND
 VILL SAUR, PO KOTALGAON, PRATAP NAGAR
 Distt- Tehri Garhwal**

विषय:- अग्निसुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नवीनीकरण (Periodic NOC) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक ।

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा ऑनलाईन किये गये आवेदन पत्र सं०- 23628468, दिनांक 20.07.2026 के परिपेक्ष में इस कार्यालय से निर्गत आदेश के अनुपालन में प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा आपके प्रश्नगत स्थल **"PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SAURKHAND"** ग्राम सौड़, पो०ओ० कोटलगांव, प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या पत्रांक- नि०ए०-फा०स०/26, दिनांक- सितम्बर 01, 2026 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। जिसमें निरीक्षण के दौरान निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई-

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 04 किग्रा | - | 10 अदद |
| 2. सी.ओ.2 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 02/4.5 किग्रा | - | क्रमशः 08/05 अदद |
| 3. हौजरील | - | 05 अदद |
| 4. फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम (पिलर टाईप) | - | 04 प्वाइंट |
| 5. पानी का टैरिस टैंक (प्लास्टिक की टंकियां) क्षमता | - | 10,000 लीटर |
| 6. पानी का भूमिगत क्षमता | - | 30,000 लीटर |
| 7. इलैक्ट्रिक मोटर/पम्प क्षमता 7.5 एचपी | - | 02 अदद |
| 8. निरीक्षण की तिथि को उपरोक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था कार्यशील दशा में पाये गये। | | |

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत स्थल का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है, साथ ही निर्देशित किया जाता है कि-

1. स्थल परिसर के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC 2016 के Part- 04 में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. स्थल परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।
3. स्थल परिसर के सभी निकास मार्ग या आपातकालीन मार्ग व सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखे जायें।
4. प्रश्नगत स्थल में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. स्थल परिसर में विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास, निकास मार्ग एवं सैट बैक क्षेत्र में किसी सामग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा। भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेगी।
6. प्रश्नगत स्थल का प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रु० प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60 अन्य सेवाएँ, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण जमा कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। साथ ही उत्तराखण्ड शासन गृह अनुभाग 03 के आदेश संख्या- 342(1)/XX-3/2021-2(39)/2006, दिनांक- 29, नवम्बर, 2021 के अनुरूप कार्यवाही करते हुए प्रत्येक छः माह में प्रश्नगत स्थल/परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration Certificate) प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव एवं शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी, नई टिहरी, जनपद टिहरी गढ़वाल की संस्तुति आख्या के आधार पर प्रश्नगत स्थल **"PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SAURKHAND"** ग्राम सौड़, पो०ओ० कोटलगांव, प्रतापनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल को दिनांक- 05 सितम्बर, 2026 से 04 सितम्बर, 2029 तक अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किये जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अग्निसुरक्षा से सम्बन्धित नवीनीकरण (Periodic NOC) अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
 (संजीव कुमार)
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 जनपद-टिहरी गढ़वाल ।